## संक्षिप्त

### सम्मान समारोह आयोजित

**पावटा।** उपखंड पावटा में सैन समाज द्वारा संत शिरोमणि सैन जी महाराज का 724वां सेन जयंती महोत्सव मंगलदास महाराज, सेवादास महाराज, मोहनदास रामायणी महाराज के परम सानिंध्य एवं सैन नवयुवक मंडल कार्यकारिणी के नेतृत्व एवं सैन समाज के वरिष्ठ मदनलाल सैन, पूरणमल सैन, गिरधारी लाल सैन, चंद्रमोहन सैन, दोलतराम सैन, भैरुलाल सैन, मोहनलाल सैन, राजेन्द्र सैन, मोहन सैन, नीरज सैन प्रदेश सचिव राष्ट्रीय नाई महासभा,सैन नवयुवक मंडल कार्यकारिणी संरक्षक राजेंद्र मोहन सैन, प्रदीप कुमार सैन, अध्यक्ष बाबूलाल सैन, उपाध्यक्ष नितिन कुमार सैन, सचिव रविकांत सैन, कोषाध्यक्ष राहुल सैन, सह कोषाध्यक्ष संजय सैन, महामंत्री मनीष सैन, व्यवस्थापक सोनू सैन, विक्की सैन, अनिल, नवल सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के विशिष्ट आतिथ्य में दीप प्रज्वलित कर हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया गया।

### मंत्री ने किया पोस्टर का विमोचन

**मालपुरा ।** विप्र समाज द्वारा परशुराम जन्म जयंति महोत्सव कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को टोडारायसिंह मुख्यालय पर केबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने परशुराम जयंति महोत्सव पोस्टर का विमोचन किया। करूणा निधि शर्मा ने बताया कि 29 अप्रेल को पंच महादेव मंदिर टोडारायसिंह मे प्रातः 9 बजे सामुहिक पूजा अर्चना व महाआरती का आयोजन होगा। चार मई को सरस्वती विद्या मंदिर से निकाली जायेगी परशुराम जी की भव्य शोभायात्रा। सामुदायिक भवन महलो का चोक मे होगा मुख्य समारोह जिसमे केबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी अतिथि रहेगें ।

### 'राजस्व न्यायालय के लंबित मामलों का हो निस्तारण'

**निवाई।** उपखण्ड अधिकारी सुरेशकुमार हरसोलिया की अध्यक्षता में शुक्रवार को पंचायत समिति सभागर में बैठक अयोजित की गई। बैठक में राजस्व न्यायालय के लंबित मामलों को लेकर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उपखण्ड अधिकारी सुरेशकुमार हरसोलिया ने राजस्व अधिकारियों को राजस्व न्यायालय में विचाराधीन धारा 136, 128, 251 ए के प्रकरणों में रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया।

# अधिकारी बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध करें : कलेक्टर

जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने राजस्व अधिकारियों की ली बैठक।

- भामाशाहों के सहयोग से बेजुबान पशु-पक्षियों हेतु परिंडे लगवाने, खैलियों में पानी आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिये निर्देश

**कोटपूतली।** जिला कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को जिला कलक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया।

जिला कलक्टर कल्पना अग्रवाल ने बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा करते हुये कहा कि सभी राजस्व अधिकारी बजट घोषणाओं की क्रियान्विति को गति देने के लिये संबंधित विभागों से समन्वय करते हुये भूमि आवंटन, डीपीआर, टैंडर प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करते हुये विकास कार्यो को समय पर पूरा करें, जिससे विकास कार्यों का लाभ आमजन को समयबद्ध मिल सकें। उन्होंने कहा कि समस्त राजकीय कार्यों की पत्रावली ई-फाईल के माध्यम से करें एवं संपर्क पोर्टल के प्रकरणों का गुणवत्ता के साथ निस्तारण करें। उन्होंने निर्देशित किया कि बजट 2025-26 में जिले के संबंध में की गई घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए आवश्यक व भविष्य में सुगमता को देखते हुए उपयुक्त भूमि का चिन्हीकरण करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भूमि का चयन करते समय आमजन की पहुंच व सुविधाओं का विशेषता से ध्यान रखें।जिला कलक्टर ने निर्देशित किया कि जिले में राजस्व अधिकारी राजस्व से संबंधित सभी प्रकार के प्रकरणों का विहित समय में निस्तारण करें, ताकि आमजन को जल्द से जल्द राहत मिल सकें। सभी उपखण्ड अधिकारी अपने दायित्वों का पालन करते हुये अपने क्षेत्र में संचालित समस्त गतिविधियों की नियमित मॉनिटरिंग करे।

जिला कलक्टर ने कहा कि समस्त राजकीय कार्यों के निर्वहन हेतु पत्रावली कार्य पूर्ण रूप से ई-फाईल के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें। अधिकारी ऑफलाईन पत्रावली उपयोग में नहीं लेंवे एवं ई फाईल पर एवरेज डिस्पोजल टाईम में सुधार करते हुये समय पर फाईल डिस्पोज करें। जिससे कि अविलंब पत्राचार संबंधी कार्य पूर्ण किये जा सके। उन्होंने अधिकारियों को जनसुनवाई व रात्रि चौपाल के माध्यम से आमजन के बीच पहुंचकर उनके परिवादों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अधिकारी रात्रि चौपाल के दौरान लोगों के बीच ही रुकें, संवेदनशीलता के साथ उनके बिजली, पेयजल, सडक आदि के प्रकरणों को सुन संतुष्टपूर्ण निस्तारण करने एवं जिन प्रकरणों का निस्तारण उनके स्तर से नहीं किया जा सकता, उसके बारे में उन्हें पूर्ण जानकारी व कारण बताते हुये निस्तारित करें। उन्होंने पंचायत पुनर्गठन पर प्राप्त आपत्तियों के संबंध में नियमानुसार व स्वविवेक के साथ कार्यवाही करने को कहा। जिला कलक्टर ने कहा कि गर्मी के मद्देनजर अधिकारी अपने क्षेत्र में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए ट्यूबवेल, टैंकर सप्लाई, पाईपलाईन मरम्मत, मोटर रिपेयर, टंकी सफाई आदि कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र में भामाशाहों के सहयोग से बेजुबान पशु-पक्षियों हेतु परिंडे लगवायें एवं खैलियों में पानी आपूर्ति सुनिश्चित करें। जिला कलक्टर ने तहसीलदारों को निर्देशित किया कि म्यूटेशन के मामलों में सख्ती दिखाते हुये पटवारी स्तर से ऑटो फॉरवर्ड होने वाले प्रकरणों को पुनरू भेज कर नियमनुसार जाँच एवं कार्यवाही करायें एवं ऑटो फॉरवर्ड पर निर्भर रहने वाले पटवारियों को नोटिस जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर उन्हें पाबंद करें, जिससे आमजन को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इस दौरान उन्होंने कहा कि आई-गोट मिशन कर्मयोगी पर सभी अधिकारी स्वयं भी व अपने अधीनस्थों को निर्देशित कर महत्वपूर्ण कोर्स का अध्ययन करें। जिससे कि उनके कौशल का विकास हो सके।

## कान्हा बॉयज हॉस्टल का भव्य उद्घाटन

**मनोहरपुर।** सीकर के जलधारी नगर स्थित कान्हा बॉयज हॉस्टल का भव्य उद्घाटन किया गया।

हॉस्टल के संस्थापक मनीष सैनी ने बताया कि इस हॉस्टल का उद्घाटन रुकंसर धाम शेरगढ़ आश्रम के संत शिरोमणि कैलाशनाथ महाराज गुलाबनाथ महाराज जी सालासर धाम के कमल पुजारी के कर कमलों से किया गया।

## जिला कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक

**टोंक ।** जिला कलेक्टर डॉ. सौम्या झा ने जिले में भीषण गर्मी एवं हीटवेव को देखते हुए आमजन को पेयजल, विद्युत, बेहतर चिकित्सा, पशुओं को छाया, पानी और सूखा चारा समेत अन्य आधारभूत सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि विशेषकर विद्युत व जलदाय विभाग आपस में समन्वय बनाकर कार्य करें, ताकि पेयजल वितरण में बाधा उत्पन्न नहीं हो। जिला कलेक्टर ने कलेक्टर कक्ष में जिले में जलापूर्ति की डिमांड एवं सप्लाई, समर कंटीजेंसी प्लान की कार्य योजना एवं खराब हैंडपंपों को सतत रूप से ठीक करने की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि समर कंटिजेंसी के कार्यों को नियत समय पर पूरा किया जाएं, ताकि आमजन को इसका लाभ मिल सके। विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता के.एल पटेल को कहा कि विभाग स्तर पर लंबित घरेलू एवं कृषि कनेक्शनों को शीघ्र जारी करें। वे 7 दिन बाद इसकी पुनः समीक्षा करेंगी। उन्होंने पीएम सूर्य घर योजना के तहत जिन उपभोक्ताओं के विद्युत बिल 300 यूनिट से अधिक आते है, उन्हें प्रोत्साहित कर इस योजना से जोड़ने पर जोर दिया।

जिला कलेक्टर ने विद्युत लाइनों के मरम्मत कार्यों के बारे में जानकारी लेकर कहा कि विद्युत विभाग के कंट्रोल रूम चौबीस घंटे क्रियाशील रहे एवं प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाएं। जिला कलेक्टर ने चिकित्सा विभाग के सीएमएचओ एवं पीएमओ को लू एवं तापघात की स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सालयों में उपचार की सभी व्यवस्थाएं बेहतर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंखे, कूलर, एसी, वाटर कूलर क्रियाशील रहें तथा आवश्यक दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ छोटू लाल बैरवा को गौशालाओं में पर्याप्त चारे, पानी व छाया की व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही, गौशालाओं को समय पर अनुदान राशि प्रदान करने पर बल दिया। जिला परिषद के एसीईओ ललित कुमार को मनरेगा में श्रमिकों के लिए छाया पानी के प्रबंध एवं आवश्यक दवाओं को रखने के निर्देश दिए।

## रोड के सामने नाला ब्लॉक, सड़क पर फैला गंदा पानी

- लोगों का कहना है कि समय रहते इन नालों की सफाई की जानी चाहिए। इन दिनों शहर के सभी मार्गों पर बने नाले कूड़े-कचरे से अटे पड़े हैं

**पावटा।** कस्बे के सर्विस रोड पर पोस्ट ऑफिस के सामने नाला ब्लॉक होने से सड़क पर गंदा पानी फैल गया है। यहां से गुजरने वाले राहगीरों व वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क पर बहते गंदे पानी से उठती दुर्गंध से न केवल आसपास के दुकानदारों बल्कि यहां से आवागमन करने वाले लोगों को मुंह पर कपड़ा रखकर निकलना पड़ा। यहां के निवासियों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से नाले की सफाई करवाने की मांग की है।

वही दुकानदारों व वाहन चालकों, राहगीरों एवं ग्रामीणों ने कहा कि गुरुवार को यहा नाला ब्लॉक होने से गंदा पानी सड़क पर एक फीट तक जमा हो गया। इसके चलते दिनभर यहां से निकलने में लोगों को परेशानियां हुई। तेज गति से यहां वाहन निकलने पर उसकी छींटे दूर तक पड़ी। गंदे पानी से उठती दुर्गंध से दुकानदारों का बुरा हाल रहा। लोगों ने बताया कि अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं आया है। बारिश के दिनों में यहां के हालात क्या होंगे, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। प्रशासनिक और संबंधित विभाग के अधिकारियों को चाहिए कि शहर के सभी नालों की सफाई कराई जाए। ताकि बिन बारिश के भी सड़कों पर पानी जमा न हो और पानी की निकासी आसानी से हो सके। लोगों का कहना है कि समय रहते इन नालों की सफाई की जानी चाहिए। इन दिनों शहर के सभी मार्गों पर बने नाले कूड़े-कचरे से अटे पड़े हैं। पानी की निकासी होने का तो इन नालों से कोई सवाल ही नहीं उठता। पाव टा कस्बे के सर्विस रोड पर भी नाले भरे होने के कारण उनका गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है।

## फुलेरा में सैन जयंती का 725वां महोत्सव मनाया

कार्यक्रम में समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया।

**फुलेरा।** कस्बे की जोबनेर रोड़ स्थित सैन वाटिका परिसर में सैन समाज विकास समिति फुलेरा के तत्वाधान में दो दिवसीय सैन जयंती महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रथम दिवस गुरुवार को मन्दिर परिसर में सैन महाराज का पुष्प मालाओं से भव्य श्रृंगार कर झांकी सजाई गई। इसके महिला मण्डल द्वारा सत्संग किया गया। इसी क्रम दूसरे दिवस शुक्रवार को प्रातः 7:15 बजे मन्दिर के पुजारी गोविन्द शर्मा द्वारा विशेष पूजा अर्चना सम्पन्न करवाई गई। तत्पश्चात संगीतमय सुन्दरकाण्ड का सामूहिक पठन कर महाआरती की गई। ामारोह का आयोजन समिति के अध्यक्ष तारा चन्द आमेरिया की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक निर्मल कुमावत रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पालिका पार्षद यतेन्द्र झांकड़ा, विष्णु कुमार सैन, शिक्षाविद् शक्ति सैन, टीकम सैन, भंवर लाल सैन, राजाराम सैन, बनवारी सैन, संजय सैन रहे।

कार्यक्रम के दौरान आगन्तुक अतिथियों का माला साफा व दुप्पटा पहनाकर स्वागत अभिनन्दन किया गया। इसके बाद कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए शिक्षाविद् शक्ति सिंह ने सैन जी महाराज की जीवनी पर प्रकाश डाला। इसी क्रम में मुख्य अतिथि ने समाज के द्वारा किये गये कार्यों की प्रशंसा की साथ ही शिक्षा पर विशेष चर्चा की गई। वहीं समाज की प्रतिभाओं और भामाशाहों का माला साफा पहनाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मंच का संचालन महेश सैन के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अन्तिम चरण में समिति के अध्यक्ष ताराचन्द आमेरिया ने सभी आगन्तुकों का आभार व्यक्त किया। वहीं सहभोज का आयोजन भी किया गया।

## जिला कलेक्टर से उपेन यादव ने की मुलाकात

**शाहपुरा ।** भाजपा नेता उपेन यादव ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर और के महाप्रबंधक से मुलाकात की। उन्होंने शाहपुरा शहर के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की तथा विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए पत्र सौंपा। भाजपा नेता उपेन यादव ने जिला कलक्टर को शाहपुरा शहर के पुराने बस स्टैंड पर स्थित अप्रासंगिक बिजली ग्रेड को लेकर अवगत कराया और बताया कि यह ग्रिड अब सड़क सीमा और ट्रैफिक के लिए एक बड़ी बाधा बन चुका है और यहां कई हादसे हो चुके है। उन्होंने इसे हटाकर किसी महापुरुष की प्रतिमा स्थापित करने और एक सुंदर सर्कल बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने शाहपुरा शहर में यात्रा करने वाले वाहनों के लिए इंटरनल जीप स्टैंड के निर्माण के लिए भी कलक्टर से अनुरोध किया, ताकि खाटू श्याम, त्रिवेणी धाम और अजीतगढ़ जाने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके।

# सिंधी समाज ने आतंकवाद के खिलाफ निकाला जुलूस, एसडीएम को ज्ञापन सौंपा

आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए एसडीएम को सौंपा ज्ञापन।

**किशनगढ़ बास।** पहलगाम में 26 निर्दोष हिंदू पर्यटकों की बेहरमी से की गई हत्या के विरोध में भारतीय सिंधु सभा के नेतृत्व में सिंधी समाज ने आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौपा। इससे पहले संत कंवर राम हरिमदिर सिंधी गरुद्वारा पर 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित कर ईश्वर से परिवार जनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की गई।

सिंधी समाज के प्रवक्ता सुनील बतरा बताया कि भारतीय सिंधु सभा व सिंधी समाज के मुखी गोकुल दास के नेतृत्व में शुक्रवार को संत कंवर राम हरि मंदिर में सिंधी समाज के लोगों ने एकत्रित होकर पहलगाम में शहीद हुए लोगों को 2 मिनट का मौन रख श्रद्धा सुमन अर्पित किए और ईश्वर से उनके परिवार जनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। उन्होंने उपखंड अधिकारीको देश के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सोपा। इस मौके पर भारतीय सिंधु सभा इकाई किशनगढ़ बास के अध्यक्ष प्रभु दयाल चंदनानी, पूज्य सिंधी पंचायत के मुखी गोकुलदास मृगवानी, बाबा बाबूलाल चंदनानी , झामन दास हरवानी, रूपचंद बत्रा, जनेश भूटानी ,डॉ राजेश पमनानी, रमेश हरवानी , कैलाश बत्रा,दोलत भारती, लक्ष्मण दास मंगलानी, प्रदीप भूटानी ,मुकेश बत्रा, श्री चंद बत्रा , बंटी हरवानी, संजीव बजाज, राजा वलेचा , धारी मस्ताना , हीरु हरवानी,सुनील वलेचा, मनीष भूटानी, महेश, कन्हैया, विशाल बत्रा, नवीन मदान सहित अनेक सिंधी समाज के लोग मौजूद रहे।


**खोया पाया**

जेडीए आवासीय योजना "अनुपम विहार, अजमेर रोड़, जयपुर के भूखण्ड संख्याः सी-161 का मूल आवंटन पत्र जो कि मुझे मदनलाल पुत्र श्री बेगाराम को आवंटित है कहीं गुम हो गया है, कृप्या मिलने पर सूचित करें: 9413369696

मेरे आवास 51/62, शिप्रा पथ, मानसरोवर के मूल दस्तावेज नियमितिकरण कम अदेय प्रमाण पत्र कहीं खो गए हैं जो कि रीता मेहता के नाम से है मिलने पर सूचित करें 9314245162

प्लॉट नम्बर 76, योजना रोहिणी एन्क्लेव का मूल आवंटन पत्र की रसीद और स्टैंमप कहीं गुम हो गया है, मिलने पर संपर्क करें। झामन दास मोबाइल नंबर - 6375-449146

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

**कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर**

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-1/TRUST/2025/197
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि प्रार्थी श्री DR. SWAROOP SINGH, A-975. SIDDHARTH NAGAR, JAWAHAR CIRCLE KE PAS. JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास वधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास माँ दुर्गा चैरिटेबल ट्रस्ट कुम्हां, A-975, SIDDHARTH NAGAR. JAWAHAR CIRCLE KE PAS, JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट बवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष वभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 21-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 27/06/2025

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

**नम्बर मिलाइए 9587884433**

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।



**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

अभिलेख आवेदन -210947
क्रमांकः-जविप्रा/उपा./जोन-09/2025/डी-1427 दिनांक 14.04.2025

**आम सूचना** शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना रोहिणी नगर के भूखण्ड संख्या 25 क्षेत्रफल 233.33 व.गज की लीज डीड दिनांक 28.01.2003 को श्रीमती उषा गुप्ता पत्नी श्री अशोक कुमार गुप्ता के पक्ष में जारी की गई थी। श्रीमती उषा गुप्ता द्वारा श्री रजत अग्रवाल पुत्र श्री अशोक कुमार गुप्ता को शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना रोहिणी नगर के भूखण्ड संख्या 25 क्षेत्रफल 233.33 व.ग. में से अविभाजित 1/2 भाग की रजिस्टर्ड निफ्ट डीड दिनांक 02.11.2021 को की गई। श्रीमती उषा गुप्ता पत्नी श्री अशोक कुमार गुप्ता एवं श्री रजत अग्रवाल पुत्र श्री अशोक कुमार गुप्ता द्वारा श्रीमती उर्मिला जोशी पत्नी श्री मदन मोहन शर्मा की भूखण्ड संख्या 25 क्षेत्रफल 233.33 व.ग. में से उत्तरी हिस्सा क्षेत्रफल 133.33 व.ग. का बयान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.01.2025 के द्वारा किया गया है। श्रीमती उर्मिला जोशी पत्नी श्री मदन मोहन शर्मा द्वारा शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना रोहिणी नगर के भूखण्ड संख्या 25 क्षेत्रफल 233.33 व.ग. में से दक्षिणी हिस्सा क्षेत्रफल 133.33 व.ग. का नाम हस्तान्तरण/उपविभाजन करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः प्रार्थि को शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना रोहिणी नगर के भूखण्ड संख्या 25 के नाम हस्तान्तरण / उपविभाजन पत्र जारी किये जाने के सम्बंध में कार्यवाही की जानी है। इस सम्बंध में किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस कि अवधि प्रस्तुत करें अन्यथा उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/उपविभाजन पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी।

उपायुक्त जोन-09, जविप्रा, जयपुर



**कार्यालय उपायुक्त किशनपोल जोन**
**नगर निगम जयपुर हैरिटेज**

सोफिया स्कूल के सामने, घाटगेट जयपुर
क्रमांक एफ-52/DC/KPZ/2025/138 दिनांक 25/4/2025

**सार्वजनिक आपत्ति सूचना**

श्री अब्दुल हमीद पुत्र श्री दीन मोहम्मद व श्रीमति नजमा बेगम पत्नी श्री अब्दुल हमीद निवासी मकान नम्बर 3731, रास्ता फुटा खुर्रा, चौकडी रामचंद्र जी जयपुर ने किशनपोल जोन में ग.न. 3731, रास्ता फुटा खुर्रा, चौकडी रामचंद्र जी जयपुर के उक्त भवन का 69-क के तहत् पट्टे हेतु का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है उक्त भवन के संबंध में आवेदनकर्ता द्वारा बेनामा वर्ष 1982 श्री गोपीनाथ नाम गुलाब चंद, पंजीकृत विक्रय पत्र वर्ष 1984 श्री गुलाब चंद बनाम अब्दुल मीद, वर्ष 2010 अपंजीकृत कुलियतनामा अब्दुल कलाम पुत्र दीन मोहम्मद सैंज अब्दुल हमीद पुत्र दीन मोहम्मद, वर्ष 2011 में श्री अब्दुल हकीम पुत्र श्री ीन मोहम्मद वर्सेज नजमा बेगम पत्नी अब्दुल हमीद की प्रमाणित फोटो प्रतियां स्तुत कर उक्त भूखण्ड का 69-क का पट्टा चाहा है। इस सम्बन्ध में किसी संस्था ंथवा अन्य व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के ार्यालय में मय दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि के समाप्ति के ाद, नियमानुसार पट्टे की कार्यवाही कि जावेगी।

उपायुक्त, किशनपोल जोन, नगर निगम जयपुर हैरिटेज



**कार्यालय नगर पालिका मण्डल, चाकसू, जिला - जयपुर ग्रामीण (राज.)**

क्रमांक/न.पा.चा./2025/479 **लोक सूचना** दिनांक: 25.04.2025

आवेदक श्री ताराचन्द पुत्र श्री प्रभुदयाल हिस्सा- पूर्ण जाति- रैगर निवासी श्री मोजी नगर कॉलोनी सेक्टर 8 प्रताप नगर सांगानेर जिला जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

| जिले सहित तहसील का नाम | ग्राम का नाम | खसरा सं. | क्षेत्र (हैक्टे. में.) | प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|
| तहसील चाकसू जिला जयपुर | ग्राम का नाम चाकसू गढ़ीरामनगर पटवार हल्का- श्रीनिवासपुरा उर्फ धूनी भू.अभि.नि.क्षेत्र- कोथून | 337 | 0.5700 | कृषि आधारित प्राथमिक लघु उद्योग |
| | | कुल किता 1 | कुल रकबा 0.5700 | |

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 - क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पर्याप्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 25-04-2025 को जारी की गयी

प्राधिकृत अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका चाकसू



**नगर निगम जयपुर, हैरिटेज**
(पुराना पुलिस मुख्यालय, हवामहल के पास)

क्रमांकः एफ13 () उपा. लैण्ड/ननिज./2025/29
दिनांकः-08/04/025

**सार्वजनिक सूचना**

मूल भूखण्ड सं. 130, सेठी कॉलोनी, जयपुर का पट्टा श्री रामसेवक सक्सैना को दिनांक 16.05.1973 को 266.66 व.ग. का पट्टा जारी किया गया था। श्री स्वदेश चन्द्र पुत्र श्री रामसेवक सक्सैना द्वारा हकत्याग के आधार पर व शपथ पत्र प्रस्तुत कर का एवं अन्य दस्तावेजो के आधार पर आवेदन प्रस्तुत कर नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। इस बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त लैण्ड शाखा) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।

उपायुक्त (लैण्ड)
नगर निगम जयपुर, हैरिटेज



**विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन**
(आदेश 5 वो नियम 1 और 5)

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बांदीकुई स्थान बांदीकुई उनवान रामगोपाल बनाम गिर्राज वगै. दावा उद्घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, तकासमा एवं स्वाथी निषेधाज्ञा
प्रकरण संख्या 129/2022

1. रामगोपाल पुत्र रेवडमल जाति माली निवासी रामोल्या की ढाणी नंदेरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. मोगरी पुत्री रेवडमल
2. छोटी पुत्री रेवडमल
3. संतोष पुत्री रेवडमल
4. मनोहर पुत्र रेवडमल

जाति माली निवासी रामोल्या की ढाणी नंदेरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा

वादी ने आपके विरूद्ध दावा के लिये पंजीकृत किया है आपको इस न्यायालय में तारीख 15.05.2025 को दिन में 10 ए.एम. बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिये गए हो और जो इस वाद से संबंधित संभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई कर दावा का प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुठाई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसे दस्तावेज को उल्लेखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह आज तारीख 23.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।

(रामसिंह राजावत), आर.ए.एस.
उप जिला अधिकारी, बांदीकुई (दौसा)



**विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन**
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

नाम न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश पश्चिम स्थान जयपुर द्वितीय जयपुर महानगर राजपाल व अन्य विरूद्ध अजय सिंह व अन्य
वाद बाबत
वाद सं. 93 सन् 2025

नाम अजय सिंह श्री पुत्र दयाराम जाति अहिर (यादव) निवासी प्लाट नं. स्थान 80, बी. साउथ पार्ट शिवशक्ति विहार बैनाड ग्राम बोयतावाता जयपुर हाल वार्ड नं. 12 नावता पचेरी छोटी, जिला झुन्झुनू ने आपके विरूद्ध के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 29 माह 04 सन् 2025 को दिन में 8.00 एएम का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो इस बाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई कर दावा का प्रतिदावा आधारित है, और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या ने हो, अपने प्रतिरक्ष या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजो को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह आज दिनांक 24. माह 04 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की